भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2552

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

मंत्रालय के अंतर्गत जनशक्ति की स्थिति

2552. श्री ए.ए. रहीम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार मंत्रालय और उसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में संगठन-वार संस्वीकृत पदों की संख्या तथा पदस्थ कार्मिकों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान संस्वीकृत पदों की तुलना में की गई नियुक्तियों की वर्ष-वार और संगठन-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत अवसंरचना के संचालन और अनुरक्षण के लिए उपलब्ध जनशक्ति की पर्याप्तता का निर्धारण करने हेतु कोई जनशक्ति आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय और उसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : मंत्रालय तथा इसके सीपीएसई में दिनांक 31.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार संगठन-वार स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है:

संगठन		**स्वीकृत संख्या**	**कार्यरत**
1.	विद्युत मंत्रालय	645	444
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
2.	एनटीपीसी लिमिटेड	18632	18571

3.	पावरग्रिड	10311	9670
4.	पीएफसी लिमिटेड	672	605
5.	आरईसी लिमिटेड	825	584
6.	एनएचपीसी लिमिटेड	5736	4673
7.	नीपको	1231	1256
8.	ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड	650	641
9.	एसजेवीएन लिमिटेड	2704	1654
10.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	1772	1541

(ख) : पिछले चार वर्षों के दौरान स्वीकृत पदों के निमित्त की गई नियुक्तियों की वर्ष-वार और संगठन-वार संख्या निम्नानुसार है:

संगठन		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1.	विद्युत मंत्रालय	10	63	29	28
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम					
2.	एनटीपीसी लिमिटेड	1126	1448	1489	1215
3.	पावरग्रिड	323	397	1063	1157
4.	पीएफसी लिमिटेड	13	57	34	74
5.	आरईसी लिमिटेड	8	146	95	37
6.	एनएचपीसी लिमिटेड	190	507	186	293
7.	नीपको	0	14	11	95
8.	ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड	57	51	03	35
9.	एसजेवीएन लिमिटेड	275	351	189	0
10.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	25	287	135	77

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसई अपनी प्रचालनात्मक आवश्यकताओं तथा व्यावसायिक पोर्टफोलियो के अनुरूप पर्याप्त कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जनशक्ति आकलन करते हैं। मंत्रालय और इसके सीपीएसई में जनशक्ति की कमी को स्वीकृत संख्या, अनुमोदित जनशक्ति योजनाओं और लागू भर्ती नियमों एवं आरक्षण नीति के अनुसार नियमित भर्ती के माध्यम से पूरा किया जाता है।
